न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 95/2014

1 मातादीन उम्र 60 साल पुत्र भंवरलाल जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
1/1 शारदा देवी पत्नी स्व. मातादीन
1/2 आशीष पुत्र स्व. मातादीन
समस्त जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 विजय कुमार उर्फ विनोद कुमार पुत्र भंवरलाल
3 बलराम पुत्र समदर
4 पुनित कुमार पुत्र मांगीलाल
समस्त जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 घासी पुत्र शोभाराम उर्फ शोभजी उम्र 60 साल जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी नांगल वर्तमान में ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
1/1 निर्मला पत्नी स्व. घासीराम
1/2 संदीप पुत्र स्व. घासीराम
1/3 पूनम पुत्री स्व. घासीराम
जाति समस्त पुरोहित ब्राह्मण निवासीगण खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
2 झाबर पुत्र शोभाराम उम्र 52 साल जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी नांगल वर्तमान में ग्राम खोजास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 कृष्ण कुमार उम्र 30 साल जाति पुरोहित ब्राह्मण निवासी ग्राम बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (केन्द्र झुन्झुनूं)

5 जिला कलेक्टर महोदय झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश एस.डी.ओ. नवलगढ़ दिनांक 27.05.2014 मु.नं. 149/2011 उनवानी मातादीन वगै. बनाम घासी वगै. जिसके अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलान्ट का दावा अ.धारा 11 सीपीसी रेसज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज कर दिया।

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुशील जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 1/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 149/2011 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2014 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने एक वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्त करवाने राजस्व रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर गत 469 व 525, हाल खसरा नम्बर 460, 511/15, 552 वाके ग्राम बसावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने मुकदमा नम्बर 19/74 निर्णय दिनांक 14.09.77 उनवानी घासी आदि बनाम नरसा आदि में तनकी संख्या 4 जो वादी दत्तक पुत्र है या नही है के संबंध में पूर्व एसडीओ का निर्णय वादी को दत्तक पुत्र साबित होना नहीं माना है और निर्णय वादी के पक्ष में होना मानकर अपीलान्ट का वाद अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज किया है जो विधि, कानून के विरूद्ध है। प्रथम तो राजस्व न्यायालय को दत्तक पुत्र होने व न होने का श्रवणाधिकार नहीं है, इस कारण तथाकथित निर्णय बिना क्षेत्राधिकार के विधि विरूद्ध है जिसे कभी भी कही पर भी चुनौती दी जा सकती है, द्वितीय तथाकथित निर्णय में कब्जे काश्त व खातेदारी की घोषणा का निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ है। तृतीय इस प्रकार के किसी भी निर्णय की न तो सत्य प्रतिलिपि पेश की है, ना ही डिक्री पेश की है, कोई फर्जी झूंठी फोटो कापी पेश की है, जो साक्ष्य में किसी भी रूप में ग्राहय नहीं है। चतुर्थ रेसज्यूडिकेटा मिक्स प्रश्न कानूनन व तथ्यो का है, जिस पर तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाता है, इस कारण विचारण न्यायालय का निर्णय विधि कानून विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने लायक है। किसी भी डिक्री का कियान्वयन व प्रभाव 12 साल तक ही रहता है। उक्त तथाकथित निर्णय सन 1977 का है उक्त निर्णय व डिक्री प्रभावहीन हो गई, जिसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। इस प्रकार विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त होने लायक है। अपीलान्ट के वाद में वादकारण अलग है विषयवस्तु व सिद्धीया अलग है, पक्षकार भी अलग है, इस कारण रेसज्यूडिकेटा अपीलान्ट के वाद पर लागू ही नही है, इस कारण विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त होने लायक है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.14 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय को आदेश दिया जावे कि वादीगण अपीलान्ट के वाद का निर्णय गुणावगुण पर विधि अनुसार तनकीयात बनाकर करें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संदर्भ में विचारण न्यायालय में पूर्व में वाद संख्या 19/1974 उनवान घासी आदि बनाम नरसा निर्णय दिनांक 14.09.1977 से निस्तारित किया जाकर वादीगण के पक्ष में डिक्री किया गया है। वादीगण के पिता शोभाराम के संवत 1984

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में ग्राम नांगल में नारायण पुरोहित के गोद चले जाना निर्णित हो चुका है। ऐसी स्थिति में पुनः विवादित भूमि के संदर्भ में प्रस्तुत विचाराधीन वाद रेसज्यूडिकेटा से प्रभावित होने के कारण विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में मुकदमा नम्बर 19/74 निर्णय दिनांक 14.09.77 उनवानी घासी आदि बनाम नरसा आदि में तनकी संख्या 4 जो वादी दत्तक पुत्र है या नही है के संबंध में पूर्व एसडीओ का निर्णय वादी को दत्तक पुत्र साबित होना नहीं माना है।

विचारण न्यायालय के समक्ष वादी अपीलान्ट की ओर से दावा संख्या 149/2011 बाबत घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती रिकार्ड प्रस्तुत किये जाने पर प्रतिवादी घासी की ओर से वाद संख्या 19/1974 में पारित निर्णय का अवलंब लेकर यह वाद रेसज्यूडिकेटा से बाधित होना कथन कर वाद अंतर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया। इस पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से पूर्व में विवादित भूमि के संदर्भ में वाद निर्णित होने का तथ्य अंकित कर अपीलान्ट का वाद अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष तथाकथित निर्णय में कब्जे काश्त व खातेदारी की घोषणा का निर्णय गुणावगुण पर नहीं हुआ है। इस प्रकार के किसी भी निर्णय की न तो सत्य प्रतिलिपि पेश की है, ना ही डिकी पेश की है, केवल फोटो कापी पेश की है, जो साक्ष्य में किसी भी रूप में ग्राहय नहीं है। रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु कानून व तथ्यो का मिश्रित बिन्दु है, जिस पर तनकी बनाकर साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाता है।

इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2024(1) पेज 610 में अभिनिर्धारित किया गया है कि 'Code

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

of Civil Procedure, 1908- Section 11-Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 88, 89 and 188-Trial Court order to delete tha name of Murti Mandir Sitaramji and declared all the plaintiffs as khatedar of 1/4th share and khasra No. 1121 kept in name of the mandir-Revenue Appellate authority allowed the appeal and set aside the judgment-No written statement filed and the plea of res judicata can be reised only in the written statement and recording evidence on issue of the res judicata is necessary-Objection regarding question of res judicata cannot be raised in appeal memo-Suit is not barred by res judicata-Jeeva was a recorded tenant at the time of resumption of Jagir-Held, Revenue Appellate Authority has committed serious error in setting aside the judgment-Judgment is set aside.'

किसी भी डिकी का कियान्वयन व प्रभाव 12 साल तक ही रहता है। उक्त तथाकथित निर्णय सन 1977 का है उक्त निर्णय व डिकी प्रभावहीन हो गई, जिसका कोई कानूनी वजूद ही नहीं है। अपीलान्ट के वाद में वादकारण अलग है विषयवस्तु व सिद्धीया अलग है, पक्षकार भी अलग है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 1/7/25 .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)